न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–47/2021

कर्मचारी महतो एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

लालसा महतो उर्फ कैलाश महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.01.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 18.01.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 12.01.2024 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा मद न0–02 वादपत्र की एराजी के निस्वत बंटवारा के लिए अन्य दादरसी के साथ दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी प्रथम पक्ष उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल कर चुके है, जो अभिलेख पर है तथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष अभी उपस्थित नही हुये है। वादपत्र के अवलोकन से जानकारी हुई है कि टाईपिस्ट की असावधानी से प्रतिवादी खाना में प्रतिवादी सं0–04 का नाम भुनेश्वर मिश्र की जगह पर भुनेश्वर महतो टंकित हो गया है। जिसे सुधार करना आवश्यक है। जिसके लिए प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया है। प्रस्तुत संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलवा नही हो रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगें। प्रतिवादीगण की ओर वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–47/2021</u>

कर्मचारी महतो एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

लालसा महतो उर्फ कैलाश महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.01.2024	वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादीगण के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 29.01.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	